न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य , आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0-- 14/2019
प्रविष्टि दिनांक -- 20.02.2019

उनवान

अभयमल पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी रेडीवास बाईस क्वाटर, टोंकतह0 व जिला टोंक राज0

– वादी

बनाम

तहसीलदार टोंक !

– प्रतिवादी

उपस्थित– श्री पवनकुमार जैन –वकील वादी

प्रार्थना–पत्र बाबत– दुरूस्ति ईन्द्राज
अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 10/7/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 5488 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 5489 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा टोंक शर्की तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 5488 के साबिक खसरा नम्बर 4925 रकबा 17 बिस्वा तथा 5489 के साबिक खसरा नम्बर 4926 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा थे। सन 1942 के बन्दोबस्त हैदर साहब में इस भूमि के साबिक खसरा नम्बर 4925 की किस्म जमीन धामनी अव्वल तथा 4926 की किस्म जमीन पडत अंकित की हुई है जो कि काबिल काश्त भूमि की श्रैणी में आती है। बन्दोबस्त संवत 2028 तहसील टोंक में उक्त वाबिक खसरा नम्बर 4925 के हाल न. 5488 बनाकर उसकी पूर्व में अंकित किस्म जमीन को बदलकर गैरमुमकीन पाल तथा साबिक खसरा नम्बर 4926 के हाल नं. 5489 बनाकर उसकी पूर्व में अंकित किस्म जमीन को बदलकर गैरमुमकीन टीबा अंकित कर दी गयी जबकि यह भूमि गै0 मु0 पाल व गै0 मु0 टीबा नहीं है बल्कि यह काश्त योग्य है मौके पर कोई पाल या टीबा नहीं है। बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को दौराने बन्दोबस्त बिना किसी सक्षम न्याालय के आदेश या निर्णय के खातेदार काश्तकार की भूमियों की किस्म बदलने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है उनके द्वारा किया गया उक्त किस्म परिवर्तन बिना क्षत्रधिकारिता का है इस कारण वर्तमान किस्म के स्थान पर पुनः साबिक रिकार्ड अनुसार ही इन भूमियों की किस्म जमीन अंकित करवाये जाने योग्य है। यह बन्दोबस्त के समय की कयी महज एक क्लेरिकल मिस्टेक है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0पत्र0 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 5488 की किस्म जमीन धामनी अव्वल व ख0 न0 5489 की किस्म जमीन पडत अंकित करवाने के लिए रिकार्ड में संशोधन का आदेश पारित किया जावे, वर्तमान में ख0नं0 5488 की किस्म गै0मु0पाल व ख0नं0 5489 की किस्म जमीन गै0मु0 टीबा हटाया जावे। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 व 1942 उर्दू मय हिन्दी, मिलान क्षैत्रफल वाके ग्राम कस्बा टोंक शर्की पेश की गयी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तलब किया गया। प्रतिपक्षी को कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तहसीलदार/प्रतिपक्षी द्वारा जवाब के स्थान पर मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे जवाब माना जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार/प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब/मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 5488 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 5489 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा टोंक शर्की तहसील व जिला टोंक (राज0) प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड आराजी

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज॰)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 5488 के साबिक खसरा नम्बर 4925 रकबा 17 बिस्वा तथा 5489 के साबिक खसरा नम्बर 4926 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा थे। सन 1942 के बन्दोबस्त हैदर साहब में इस भूमि के साबिक खसरा नम्बर 4925 की किस्म जमीन धामनी अव्वल तथा 4926 की किस्म जमीन पडत अंकित है। मौके पर ख0नं0 5489 रकबा 2.16 बीघा वर्तमान में सिविल लाइन रोड के लगवा है तथा रोड के स्तर से नीचे स्थित है। 1 बीघा में रजका व सब्जी की काश्त है, 10 बिस्वा में सफेदे के पेड है व 12 बिस्वा में मकानाता(पुख्ता) बने हुए हैं शेष 14 बिस्वा भूमि पडत पडी है। मौके पर कोई टीबा स्थित नहीं है। इसी प्रकार ख0नं0 5489 रकबा 17 बिस्वा जो वर्तमान में उत्तर दिशा से दक्षिण में ख0नं0 5489 आराजी के समान्तर प्रार्थी के कब्जे में है उक्त समानांतर पर कोई गै0 मु0 पाल या टीबा नहीं है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव बन्दोबस्त से पूर्व रिकार्ड एंव मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया है कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 5488 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 5489 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम करबा टोंक शर्की के बन्दोबस्त से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 5488 के साबिक खसरा नम्बर 4925 रकबा 17 बिस्वा तथा 5489 के साबिक खसरा नम्बर 4926 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा थे। सन 1942 के बन्दोबस्त हैदर साहब में साबिक खसरा नम्बर 4925 की किस्म जमीन धामनी अव्वल तथा 4926 की किस्म जमीन पडत अंकित की हुई है जो कि काबिल काश्त भूमि की श्रेणी में आती है। बन्दोबस्त संवत 2028 तहसील टोंक में उक्त वाबिक खसरा नम्बर 4925 के हाल न. 5488 बनाकर उसकी पूर्व में अंकित किस्म जमीन को बदलकर गैरमुमकीन पाल तथा साबिक खसरा नम्बर 4926 के हाल नं. 5489 बनाकर उसकी पूर्व में अंकित किस्म जमीन को बदलकर गैरमुमकीन टीबा अंकित कर दी गयी जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कोई गै0 मु0 पाल व गै0 मु0 टीबा नहीं है। मेरे स्वंय के द्वारा भी पटवारी हल्का के साथ वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 5488 व 5488 कस्बा शर्की टोंक का मौका निरीक्षण किया गया। मौके की जांच करने पर पाया कि हाल खसरा नम्बर 5489 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैरमुमकीन टीबा का अंकन है जो वर्तमान में सिविल लाईन टोंक के लगवा है तथा रोड के स्तर से नीचे स्थित है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 5489 में रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा में रजका व सब्जी की काश्त है, 10 बिस्वा में सफेदे के पेड है। 12 बिस्वा में मकानात(पुख्ता) बने हुए है। शेष 14 बिस्वा भूमि पडत पडी है। मौके पर गैर मुमकीन टीबा स्थित नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 5488 रकबा 17 बिस्वा जो वर्तमान में उत्तरदिशा से दक्षिण में खसरा नम्बर 5489आराजी के समान्तर प्रार्थी के कब्जे में है। उक्त समान्तर पर तक कोई गैरमुमकीन पाल स्थित नहीं है। एक नाला खसरा नम्बर 5489 व 5488 के मध्य से होकर एंव मुख्य मार्ग व खसरा नम्बर 5488 के मध्य होकर मुख्य मार्ग के बीच से निकल रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है। बन्दोबस्त के समय सहवन से अथवा बिना मौके की जांच किये वादग्रस्त भूमि की किस्म बदल दी गयी, जो दुरूस्ति योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि हाल ख0नं0 5488 की किस्म गै0मु0पाल व ख0नं0 5489 की किस्म जमीन गै0मु0 टीबा हटायी जाकर खसरा नम्बर 5488 की किस्म जमीन धामनी अव्वल व ख0 न0 5489 की किस्म जमीन पडत अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 10/07/2019.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

अभयमल पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी रेडीवास बाईस क्वाटर, टोंकतह0 व जिला टोंक राज0

– वादी

बनाम

तहसीलदार टोंक।

– प्रतिवादी

उपस्थित– श्री पवनकुमार जैन –वकील वादी

प्रार्थना–पत्र बाबत– दुरूस्ति ईन्द्राज

अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम

दावा नं0 14 / 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में से वादग्रस्त भूमि हाल ख0नं0 5488 की किस्म गै0मु0पाल व ख0नं0 5489 की किस्म जमीन गै0मु0 टीबा हटायी जाकर खसरा नम्बर 5488 की किस्म जमीन धामनी अव्वल व ख0 न0 5489 की किस्म जमीन पडत अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10/07/2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प दजह सबूत			महन्तनाना वकील		
महन्तनाना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner